

कम्प्यूटर परिपत्र सं0— २१२२०३६

पत्रांक— एस०एस०— पंजीयन अभियान/2020-21/ ४२६ /वाणिज्य कर

कार्यालयः कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०।

(संख्या अनुभाग)

लखनऊ : दिनांक: । नवम्बर, 2021

### समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-२ (वि०अनु०शा०/अपील) वाणिज्य कर

ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि०अनु०शा०) वाणिज्य कर एवं

कर निर्धारण/प्रवर्तन अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रान्त के अन्दर व्यापारिक गतिविधियाँ संचालित करने वाले व्यापारियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अधिकाधिक व्यापारियों का जी०एस०टी० पंजीकरण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस हेतु अभियान चलाकर प्रदेश के जी०एस०टी पंजीकरण योग्य/इच्छुक व्यापारियों को जी०एस०टी में पंजीकृत कराते हुये जी०एस०टी डीलर बेस 25 लाख किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

विभाग द्वारा व्यापारियों के पंजीयन को गति प्रदान करने के लिए एक नया फील्ड विजिट ऐप **UPGST Field Visit App** विकसित किया गया है जो वर्तमान में प्रचलित अभ्युत्थान ऐप **Abhuynan App** को Replace करेगा। **UPGST Field Visit App** का **Demonstration** सभी अधिकारियों के साथ **ऑनलाइन** दि 29.10.2021 को किया गया इससे सभी अधिकारी इस App से पूर्णरूप से भिज्ञ हो गये हैं।

प्रदेश में पंजीकरण हेतु दिनांक 08.11.2021 से पंजीयन जागरूकता अभियान 2021 प्रारम्भ किया जाता है।

निर्देशित किया जाता है कि सेमिनार, गोष्ठी व कैम्प के माध्यम से जी०एस०टी० में पंजीयन के लाभ व मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के लाभ से अवगत कराते हुये **UPGST Field Visit App** के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य कराकर प्रत्येक दशा में वित्तीय वर्ष के वर्षान्त तक प्रदेश के सभी जी०एस०टी० में पंजीयन योग्य अपंजीकृत व्यापारियों का शतप्रतिशत पंजीयन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) जनपद/अधिक्षेत्र में तैनात मनोरंजन कर निरीक्षकों से मनोरंजन कर सेवा प्रदाता व्यापारियों एवं सेवा क्षेत्र के व्यापारियों का सर्वेक्षण कराकर जी०एस०टी में पंजीयन योग्य/इच्छुक व्यापारियों का शतप्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करायें। निर्दिष्ट कार्यवाही ऑनलाइन नियमित अपलोड की जाये। प्रत्येक मंगलवार राजस्व संग्रह लक्ष्य पूर्ति एवं अन्य प्रसंगो के साथ पंजीकरण अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी।

*१५.११.२०२१*  
(मिनिस्त्री एस)  
कमिश्नर, वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश।